उत्तर प्रदेश शासन
राजनैतिक पेंशन अनुभाग–1
संख्या–267(1)जेड/6–सा–1–2013–21जी/2001
लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2013

विधान सभा सचिवालय,
(पटल कार्यालय)

राजनैतिक पेंशन विभाग के अनुदान संख्या–28 से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन 2012–13 की 800 प्रतियां मा0 सदस्यों को वितरित किये जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित हैं। इसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक :: यथोक्त

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
उप सचिव।

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी व्यावसायिक शिक्षा विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2– संसदीय कार्य अनुभाग–1 को 15 प्रतियों में।
3– इन्चार्ज नेट सेल, एन0आई0सी0 नवीन भवन, लखनऊ को उपरोक्त प्रतिवेदन की 01 प्रति सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचनाओं को राजनैतिक पेंशन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
उप सचिव।

LO 2012

वार्षिक प्रतिवेदन

2012-2013

गृह (राजनैतिक पेंशन) विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2012 – 2013

गृह (राजनैतिक पेंशन) विभाग

देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही वर्ष 1947 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन/अनुदान की योजना चलायी गयी । कालान्तर में पेंशन/अनुदान हेतु पेंशन नियमावली प्रख्यापित की गयी, जो 06 अगस्त, 1975 से प्रभावी है । इस नियमावली के नियमों के अंतर्गत प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जीवन पर्यन्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है । वर्तमान में राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है । वर्तमान में राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु के पश्चात् उनके पात्र आश्रितों को दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से रुपये 7,489/– प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012 – 13 में पेंशन मद में रु0 45,00,00,000/– की आय–व्ययक में व्यवस्था है ।

2– जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संतानें (पुत्र/पुत्री) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में पैदा हुयीं, उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी का स्तर प्रदान करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुमन्य करायी गयी है।

परिवहन सुविधा

वर्ष–1983 से स्वतंत्रता सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य की गयी । वर्ष–1989 से एक सहचर के साथ पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है । वर्तमान में यह

सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के बाहर के लिए भी अनुमन्य की गयी है । इसी प्रकार दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को भी एक सहायक के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य करायी गयी है । वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस मद में रु0 5,25,000/– की आय–व्ययक में व्यवस्था है ।

चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा व भोजन सुविधा भी अनुमन्य करायी गयी है ।

मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दिवंगत होने पर उनके दाह–संस्कार हेतु उनके पात्र आश्रितों को रु0 2000/– का अनुदान प्रदान किया जाता था, जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2007 से बढ़ाकर रु0 5000/– कर दिया गया है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु होने पर उनके सम्मान में शासन की ओर से जिलाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा सेनानी के शव पर पुष्पार्पण किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस मद में रु0 8,00,000/– की आय–व्ययक में व्यवस्था है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कठिनाइयों एवं समस्याओं आदि के निवारण के लिए राजनैतिक पेंशन विभाग के अधीन राज्य स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना फरवरी, 1973 में की गयी है । मा0 मुख्यमंत्री जी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा

विभागीय मा0 मंत्री जी परिषद के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं । परिषद द्वारा सेनानियों के कल्याणार्थ समय–समय पर दिये गये सुझावों पर शासन द्वारा विचार किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2012–13 में परिषद हेतु रुपये 65,86,000/– की आय–व्ययक में व्यवस्था है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन

प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना भी की गयी है, जिसमें 25 सेनानियों की स्थाई तथा 06 आकस्मिक अभ्यागतों के लिए रहने की व्यवस्था है । सेवा सदन रीवर बैंक कालोनी में स्थित है । इसी प्रकार के एक सेवा सदन की स्थापना मथुरा जिले में भी की गयी है । लखनऊ स्थित उक्त सदन की देखभाल हेतु अधीक्षक का पद स्वीकृत है । सेवा सदन लखनऊ एवं मथुरा के अधिष्ठान एवं सेनानियों की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु0 56,53,000/– की आय–व्ययक में व्यवस्था है ।

स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान

स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले तथा अन्य विशिष्ट सेनानियों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शहीद स्मारकों, स्तम्भों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया जाता है । यह कार्य उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान के माध्यम से कराया जाता है । इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु0 30,00,000/– की आय–व्ययक में व्यवस्था है ।

शासन सेनानियों की कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में सतत् प्रयत्नशील है । इसी क्रम में शासन की प्राथमिकताओं, नई कार्य शैली तथा वचनबद्धता के दृष्टिगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन प्रकरणों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित किया जा रहा है ।

लोकतंत्र सेनानी

वर्तमान में सरकार द्वारा असंख्य नौजवानों व साहसी वीरों जिन्होंने देश में आपातकालीन अवधि में लोकतन्त्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे राजनैतिक बन्दियों/लोकतन्त्र सेनानियों को उनके सम्मान में रु0 3,000/– मासिक सम्मान राशि, राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा व उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में लोकतन्त्र सेनानीं को दिये जाने वाली सम्मान राशि में रु0 23.40 करोड़ एवं निःशुल्क परिवहन सुविधा मद में रू0 4.00 करोड़ का बजट प्राविधान है।